



प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय,
Office of the Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand,
पो.: डोरंडा, राँची: 834002, PO: Doranda, Ranchi-834002
दूरभाष/Telephone-0651-2412942, 2412582, फैक्स/Fax: 0651-2411754
ई-मेल/Email: agaejharkhand@cag.gov.in

पत्रांक: WM-II(A&E)/WAMIS/FL-149(VoL-III)/04

दिनांक: 27.01.2026

कार्यालय आदेश

ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ ठेकेदारों के विपत्रों से की गई कटौतियों की कैटेगरी (रिफंडेबल/नॉन-रिफंडेबल) की गलत इन्द्राज के कारण JKUBER पोर्टल में सुधार करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे रिफंड के समय ठेकेदारों को बेवजह देरी और परेशानी हो रही है। चूंकि ये ऐसी गलतियाँ हैं, जिससे बचा जा सकता है और ये विपत्र को पारित करने की प्रक्रिया के शुरुआती स्तर में होती हैं, जिनकी जाँच DA कैडर के अधिकारियों के दायरे में आती है, इसलिए प्रधान महालेखाकार ने इसे गंभीरता से लिया है।

अतः सभी वरीय प्रमंडलीय लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी/ प्रमंडलीय लेखाकार को निर्देश दिया जाता है कि वे WAMIS पोर्टल में विपत्र पारित करते समय, सभी कटौतियों की कैटेगरी पर विशेष ध्यान दें एवं पूरी तरह से निश्चित होने के उपरांत ही विपत्र को पारित करें, ताकि ऐसी गलतियाँ न हों। चूंकि इस कार्यालय ने JKUBER पोर्टल में Correction Request की processing बंद कर दी है, इसलिए इस मामले में पूरी सावधानी बरतें।

Numerous cases are coming into notice, where correction is required to be made in the JKUBER PORTAL due to wrong entry of the category (Refundable/Non-Refundable) of deductions made from the contractors' bills, causing undue delay and hardship to the contractors at the time of Refund.

As these are avoidable errors, which originate at the initial stage during processing of bills in the Divisions, which fall within the purview of checking by officials of DA Cadre, Pr. Accountant General has viewed this seriously.

Thus, all Sr.DAOs/DAOs/DAs are instructed to meticulously check and verify the category of all deductions at the time of passing of bills in the WAMIS portal, so that such errors do not occur. As this office has discontinued processing of Correction Requests in the JKUBER portal, utmost diligence is to be observed in the matter.

हो/

वरीय लेखा अधिकारी/ डब्लू० एम०

2. श्री सरस्वती चन्द्र दास, लेखा अधिकारी-I, महासचिव, झारखण्ड प्रमंडलीय लेखा अधिकारी/ प्रमंडलीय लेखाकार संघ, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला। वे इस मामले में एक चेक लिस्ट circulate करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें WAMIS में संवेदक के विपत्र से किए जाने वाले कटौती की सही कैटगरी (रिफंडेबल/नॉन-रिफंडेबल) की विस्तृत विवरणी हो एवं JKUBER में परिलक्षित केटेगरी का भी उल्लेख हो, ताकि आगे से प्रमंडलीय स्तर पर होने वाली ऐसी गलतियों को समाप्त किया जा सके।

अलका

वरीय लेखा अधिकारी/ डब्लू० एम०